

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, फरवरी 12, 2015/माघ 23, 1936 No. 348] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2015/MAGHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2015

का.आ. 496(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अरुणाचल प्रदेश राज्य में रारा-52 को सौंपने से संबंधित सभी पूर्व आदेशों/अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में, एतद्वारा निदेश देती है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश खंडों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अन्रक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
"52	असम/अरुणाचल प्रदेश सीमा से पासीघाट खंड	किमी 510.000 से किमी 550.000
52	दिगारू–चोखम खंड	
	(अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 688.000 से किमी 806.75"

[फा. सं. एनएच-14013/2/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

752 GI/2015 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2015

S.O. 496(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession to all earlier orders/Notifications relating to the entrustment of NH-52 in the State of Arunachal Pradesh, the Central Government hereby directs that the Border Roads Organization under Border Road Development Board shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

National Highway	Section	Length in kilometers
number		
(1)	(2)	(3)
"52 52	Assam/Arunachal Pradesh Border to Pasighat section Digaru-Chowkham section	Km. 510.000 to Km. 550.000
	(In the State of Arunachal Pradesh)	Km. 688.000 to Km. 806.75"

[F. No. NH-14013/2/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2015

का.आ. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

सारणी

"2	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37, सं. 52 कि.मी. 510.000 से कि.मी. 550.000 (असम/अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल	प्रदेश
	सीमा से पासीघाट खंड) और कि.मी. 688.000 से किमी 806.75 (दिगारू–चोखम खंड) तक को	राज्य सरकार"	,
	छोड़कर], सं. 52ए, सं. 52बी, सं. 153, सं. 229 [कि.मी. 0.00 से किमी 233.00 (तवांग–बोमडिला–		
	नेचिपू) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 113, नई रारा सं. 313, नई रारा सं. 315ए, नई रारा सं.		
	513, नई रारा सं. 713 और नई रारा सं. 713ए के उतने भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में		
	अवस्थित हैं।		

[फा. सं. एनएच-14013/2/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश. निदेशक (पी एंड बी)

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 34(अ), तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2015

S.O. 497(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

"2	So much of National Highways No. 37, No. 52 [excluding from Km.	State Government of
	510.000 to Km. 550.000 (Assam/Arunachal Pradesh Border to Pasighat	Arunachal Pradesh".
	section) and from Km. 688.000 to Km. 806.75 (Digaru-Chowkham	
	section)], No. 52A, No. 52B, No. 153, No. 229 [excluding from Km. 0.00 to	
	Km. 233.00 (Tawang-Bomdila-Nichipu)], new NH No. 113, new NH	
	No. 313, new NH No. 315A, new NH No. 513, new NH No. 713 and new NH	
	No. 713A as are situated within the State of Arunachal Pradesh.	

[F. No. NH-14013/2/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 34(E), dated the 2nd January, 2015.